हरियाणा सरकार

मानव संसाधन विभाग

(कॉमन कैडर–I)

दिनांकः चंडीगढ़, दिसम्बर 2023

सेवा में

1. सभी प्रशासनिक सचिव, हरियाणा सरकार,
2. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष,
3. हरियाणा राज्य के सभी मंडलायुक्त,
4. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त।

विषयः "हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (कॉमन कैडर) के अंतगर्त आने वाले ग्रुप–घ कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण ड्राईव की संशोधित नीति।"

श्री मान/श्रीमति,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय के संदर्भ में इस विभाग के पत्र कमांक 22/82/2022–2सी.सी.I दिनांक 25.01.2023 की ओर आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है। इस मुददे पर पुनर्विचार करने के बाद, राज्य सरकार निर्देश संख्या 22/82/2022–2सी.सी.I दिनांक 25.01.2023 तथा इस संबंध में जारी किए गए सभी पिछले निर्देशों के अधिकमण में ग्रुप –घ कर्मचारियों के संशोधित स्थानांतरण नीति जारी करती है।

1. <u>स्थानांतरण ड्राईव की पृष्ठभूमि और उद्देश्य :–</u>

कुछ व्यक्तियों हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (यहॉ इसके बाद ग्रुप–घ अधिनियम के रूप में संदर्भित) तथा उसमें संशोधन के बाद उनके गृह नगर से दूर–दराज के स्थानों पर या ऐसे पदों पर जो नौकरी की प्रकृति उनके वांछनीय नहीं हैं नियुक्त किया गया है। उनके अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कॉमन कैडर में पात्र कर्मचारियों को फिर से समायोजित करने के लिए स्थानातरंण ड्राईव शुरू करने का निर्णय लिया है।

(क) इस उद्देश्य के लिए, प्रत्येक कर्मचारी को उस पद (पदों) का चयन करना होगा जिस पर वह काम नही करना चाहता है/चाहती है, यानी उसके आबंटन से बाहर किए जाने वाले पद।

(ख) दूसरा, प्रत्येक कर्मचारी को उस जिले (जिलों) का चयन करना होगा, जहां वह तैनात (प्राथमिकता के कम में) होना चाहता है/चाहती है।

(ग) इस ड्राईव में, यह गारंटी नही दी जाएगी कि कर्मचारी अपनी पसंद प्राप्त कर पाएगा। कर्मचारी इस उद्देश्य के लिए बनाए गए पोर्टल पर भरे गए अपने विकल्पों के आधार पर अधिकार का दावा नही कर पाएगा।

2. स्थानातरंण ड्राईव में भाग लेने के लिए योग्य कर्मचारीः–

(क) ग्रुप–घ कामॅन कैडर के कर्मचारियों जिन्हे ग्रुप–घ अधिनियम, 2018 के लागू होने के बाद नियमित आधार पर केवल अधिनियम की पहली अनुसूचि के कम संख्या 1 के पदो पर नियुक्त किया गया है, यानी हरियाणा सरकार के विभाग में स्वीपर, चौकीदार तथा स्वीपर कम चौकीदार को छोडकर सभी ग्रुप–घ पद, हरियाणा सरकार के एचआरएमएस पर भरे गए विवरण के अनुसार भाग लेने के पात्र हैं।

(ख)किसी भी वैधानिक निकाय/बोर्ड/निगम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम/संवैधानिक निकाय में तैनात ग्रुप–घ कर्मचारी, या जो कॉमन कैडर का हिस्सा नही है, इस ड्राईव मे भाग लेने के लिए पात्र नहीं है।

(ग) केवल वे कर्मचारी जिन्होने एच.आर.एम.एस. में अपना आधार या पी.पी.पी. जमा करवाया है, भाग लेने के लिए पात्र होंगे। जिन कर्मचारियों ने अपना आधार HRMS व पी.पी.पी में जमा नहीं करवाया है, उन्हें अयोग्य माना जाएगा।

(घ) केवल वे कर्मचारी जो अपना स्टेशन/पोस्ट बदलना चाहतें हैं और निधारिंत समय–सीमा के भीतर पोर्टल पर आवेदन करते हैं, और पोर्टल पर प्रदर्शित अनिवार्य उपकम और सहमति जमा करते हैं, भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

(ङ) जो कर्मचारी निधारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर पंजीकरण और आवेदन करने में विफल रहता है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

(च) कर्मचारी जिनके पास किसी भी मामले में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से विपरीत यथास्थिति आदेश है, और/या जिनके नाम CWP 12419 of 2022 (राजेंद्र सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य) , CWP 7388 of 2022 (शिव कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य) और CWP 26229 of 2022 (मोनिका और अन्य बनाम हरियाणा राज्य) में शामिल हैं, जिनमे यथास्थिति आदेश है, तथा जो माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ के समक्ष लंबित हैं, स्थानांतरण ड्राईव में भाग लेने के लिए पात्र नही होंगे।

3. एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या एक पद से दूसरे पद पर स्थानतंरण के मानदंडः–

(क) इस स्थानतंरण ड्राईव में भाग लेने वाले कर्मचारियों को एक पद से दूसरे पद पर, या एक जिले से दूसरे जिले में केवल प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि परिणाम की तैयारी के समय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तैयार की गई वरिष्टता सूची, बाधित नहीं होगी।

(ख) किसी भी अन्य आधार पर किसी भी प्रकार की कोई अन्य प्राथमिकता प्रदान नहीं की जाएगी।

4. **योग्य ग्रुप–घ कर्मचारियों के स्थानातंरण/पोस्टिंग के लिए अपनाई जाने वाली प्रकिया:–**

इस प्रकिया में स्थानातंरण के लिए निम्नलिखित पांच मुख्य चरण शामिल होंगें:

(क) इस उद्देश्य के लिए HARTRON (हरियाणा सरकार) द्वारा बनाए गए पोर्टल पर कर्मचारियों द्वारा विकल्प भरना:

(1) वह पद(पदों) जिस पर कर्मचारी तैनात नहीं होना चाहता।

(2) प्राथमिकता के कम में वह जिला (जिलों) जिसमें कर्मचारी काम करना चाहता है।

(ख) एचआरएमएस सॉफटवेयर (और या इस उद्देश्य के लिए बनाए गए पोर्टल) पर सभी विभागाध्यक्षों द्वारा जिलावार और विभागावार रिक्त पदों की सही संख्या प्रस्तुत करना।

(ग) आनॅलाईन स्थानातंरण फार्मूला के पूरा होने के बाद कर्मचारी द्वारा भरे गए विकल्पों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी की नई पोस्ट और/या जिले में पोस्टिंग।

(घ) एचआरएमएस में कुल रिक्त पदों में से केवल 80 प्रतिशत को इस स्थानानतरण ड्राईव के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध माना जाएगा, और शेष 20 प्रतिशत पदों को अवरूद्द (इस स्थानातरण ड्राईव के माध्यम से भरने के लिए अनुपलब्ध) कर दिया जाएगा। प्रतिशत की गणना विभाग–वार और पद–वार की जाएगी।

5. **भाग लेने वाले कर्मचारियों से वचनबद्दता** :

इस स्थानातरण ड्राईव में भाग लेने वाले प्रत्येक ग्रुप–घ कर्मचारी को निम्नानुसार एक वचन देना होगा:–

(1)	**मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है।**
(2)	**मैनें यह अच्छी तरह समझ लिया है कि इस ट्रांसफर ड्राईव में मेरा विभाग या/और पद बदले जा सकते हैं।**
(3)	**मैं जिन जिलों में कार्य करने के लिए तैयार हूं वो भी मैनें पूरी जागरूकता व ध्यानपूर्वक वर्णित कर दिए हैं।**
(4)	**इन हिदायतों के अनुसार जिन पदों पर मैं कार्य करने के लिए तैयार नहीं हूं वह मैनें पूरी जागरूकता व ध्यानपूर्वक चिन्हित कर दिए हैं।**
(5)	**मेरे द्वारा चह्नित जिले और जिन पदों पर मैं काम नहीं करना चाहता हूं उन्हें अन्तिम माना जाए।**
(6)	**मैं वचन देता हूं कि यदि मुझे मेरे द्वारा नहीं चुने गए जिलों में किसी भी ऐसे पद पर लगा दिया जाता है मैं वहां पर सरकार द्वारा निर्धारित समय के अन्दर–अन्दर अपना कार्यभार संभाल लूंगा अन्यथा मेरे विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।**
(7)	**मैं वचन देता हूं कि मुझ द्वारा फार्म में सारी सूचना पूर्ण जागरूकता व ध्यानपूर्वक भरी गई है और मेरे अनुसार यह बिल्कुल ठीक है।**

6. **सामान्य धाराएँ:–**

(क) इस स्थानातरण/पुर्नआबंटन ड्राईव के लिए, वर्तमान में एच.आर.एम.एस पर रिक्त पदों पर विचार किया जाएगा।

(ख) एच.आर.एम.एस. सत्यापित कर्मचारी डेटा स्थानानतरण एल्गोरिदम के लिए इनपुट के रूप में काम करेगा।

(ग) इस ड्राईव के लिए कर्मचारी के प्रशिक्षण विवरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

(घ) इस स्थानांतरण को सरकारी कर्मचारी के अनुरोध पर स्थानांतरण मानते हुए स्थानांतरण टीए/डीए या ज्वाइनिंग टाइम स्वीकार्य नहीं होगा।

(ड़) चूंकि विभिन्न विभागों के कर्मचारी शामिल होंगे, इसलिए विभाग/स्टेशन/पद के पुनः आबंटन के लिए स्थानांतरण ड्राईव के समापन पर फार्मूला द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर औपचारिक आदेश निदेशक, मानव संसाधन विभाग या सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और सभी विभाग स्थानांतरित कर्मचारियों को तुरंत कार्यमुक्त करने और कार्यभार ग्रहण करने के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं ।

7. **प्रतिभागियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रकिया:–**

प्रतिभागियों को एक स्थान से दूसरे स्थान और /या एक पद से दूसरे पद में स्थानान्तरण के लिये निम्नलिखित प्रकिया का पालन करना होगा :–

1 पहले पात्र कर्मचारियों को अपने –ई सैलरी और एच आर एम एस क्रेडेंशियल का उपयोग करके उस उद्देश्य के लिये बनाए गए पोर्टल पर लॉग–इन करना होगा ।

2. वहां ओ टी पी आधारित प्रमाणित करना होगा और कर्मचारियें को एच आर एम एस पर पहले से पंजीकृत मोबाईल फोन नं पर सत्यापन के लिए ओ टी पी प्राप्त होगा ।

3. सफल प्रमाणिकरण के बाद उपयोगकर्ता को पहले से ही एच आर एम एस रिकार्ड में उपलब्ध कर्मचारी का विवरण दिखाया जायेगा । प्रतिभागी का कर्त्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करें कि वह स्थानान्तरण ड्राईव के लिए पात्र है ।

4. सफल प्रमाणीकरण के बाद कर्मचारी को पोर्टल पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी:–

क) कर्मचारियों को उन पदों को चयन करने का विकल्प होगा जहां वे काम नहीं करना चाहते हैं । (पंचकूला को दो हिस्सों में विभाजित किया जायेगा, यानि पंचकूला के मुख्य कार्यालय और पंचकूला जिले में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ।)

ब) कर्मचारियों को जिलों का चयन करने का विकल्प प्राथमिकता के कम में होगा जहां वह स्थानान्तरित होना चाहतें /चाहती हैं ।

ग) सभी कर्मचारियों को पोर्टल पर प्रदर्शित अनुबन्धों और सहमतियों को प्रस्तुत करना होगा ताकि वे स्थानान्तरण में भाग लेने के लिये पात्र हों ।

8. विभागों से सूचना की पुष्टिः–

यदि सरकार चाहे तो नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को बिना पूर्व सूचना के किसी भी स्तर पर विभाग प्रमुख से सत्यापित कराया जा सकता है :

1. यदि विभाग का ऐसा मानना है, (जहां कर्मचारी वर्तमान में तैनात है),तो वह किसी कारणवश लिखित रूप में किसी कर्मचारी को स्थानान्तरण ड्राईव के लिए पात्र अयोग्य घोषित कर सकता है।
2. इसके बाद केवल पात्र (और यदि आवश्यक हो, सफलतापूर्वक सत्यापित) कर्मचारियों को ही स्थानान्तरण ड्राईव के लिये योग्य माना जा सकता है । पोर्टल पर किए गए केवल आवेदन से किसी कर्मचारी को स्थानान्तरण के लिये कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा ।

9. स्थानान्तरण ड्राईव पूर्ण होने पर स्थानान्तरण आदेशों का पालनः–

क) प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण आदेश जारी होने पर कर्मचारी स्वतंत्र रूप से पहले पद को छोड देगा और कोई अलग से कार्यमुक्त आदेशों की आवश्यकता नहीं होगी।

ख) सभी विभागाध्यक्षों /कार्यालय अध्यक्षों को स्थानान्तरण ड्राईव की प्रकाष्ठा पर रिक्त होने वाले पदों को तुरन्त अपडेट करना होगा, या स्थानान्तरण ड्राईव के समापन पर एच आर एम एस पर भरा जाने वाला हर पद । विभाग(विभागों) को यह बाध्य किया जायेगा कि कर्मचारी को उसके स्थान्तरण पर रिलीव किया जाये,चाहे उस विभाग को कर्मचारी की आवश्यकता हो न हो, और तत्काल उसे स्थानान्तरित करते हुये नये व्यक्ति को पद में शामिल होने की अनुमति देगें।

ग) एक व्यक्ति के स्थान और पद पर स्थानान्तरण के बाद, उसे नये स्थान/ पद पर एच सी एस (सामान्य) नियमों , 2016 के अनुसार सात दिनों की अधिकतम अवधि के अनुसार योजित करना होगा, अन्यथा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगा ।

घ) इस अवधि के बीच वेतन नये विभाग द्वारा और कर्मचारी को निधारिंत पद पर दिया जायेगा ।

10. स्पष्टीकरण –

क) हरियाणा सरकार, मानव संसाधन विभाग के माध्यम से, इन निर्देशों की व्याख्या और छूट देने के लिए पात्र होंगी।

ख) केवल वे व्यक्तियों जो समूह –डी कर्मचारियों भर्ती एवं सेवा की शर्ते अधिनियम, 2018 की पहली कम सूची के कम संख्या –1 के पदों पर कार्य कर रहे हैं, वे ही कर्मचारी पात्र होंगें अर्थात् सफाई कर्मचारी, चौकीदार और स्वीपर–कम– चौकीदार के समूह –डी सामान्य कॉडर के पदों पर काम करने वाले कर्मचारी स्थानान्तरण में भाग नहीं लेंगें ।

यह हरियाणा के मुख्यमंत्री की अनुमति से जारी किया गया है।